न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– बलवीर सिंह (R.A.S)

प्रकरण संख्या :– 26 / 2024

किस्म मुकदमा :– प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

दायर दिनांक :– 21.03.2024

निर्णय दिनांक :– 20/02/25

उनवान

1. राजसिंह पुत्र शिवकरण जाति जाट निवासी ढाणी बम्भोरियान तन कड़वों का बास तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

.....प्रार्थी

वनाम

1. शिवकरण पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी बम्भोरियान तन कड़वो का बास तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
2. श्रीमती सूरज दूवी पत्नी राजसिंह निवासी ढाणी बम्भोरियान तन कड़वो का बास तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
3. सीता पुत्री शिवकरण पत्नी मोहनलाल जाति जाट निवासी ढाणी बम्भोरियान तन कड़वो का बास तहसील मौजमाबाद हाल सूरतपूरा तह0सांगानेर जिला जयपुर राज0।
4. सरिता देवी पुत्री शिवकरण पत्नी नन्दाराम जाति जाट निवासी ढाणी बम्भोरियान तन कड़वो का बास तहसील मौजमाबाद हाल रेटी तह0 मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
5. कानी देवी पत्नी शिवकरण जाति जाट निवासी ढाणी बम्भोरियान तन कड़वो का बास तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
6. उप पंजीयक महोदय विचून तहसील मौजमाबाद जिला दूदू राज0।
7. तहसीलदार महोदय तहसील मौजमाबाद जिला दूदू राज0।

उपस्थित : 1. श्री कन्हैयाल लाल माली अधिवक्ता प्रार्थी।

2. श्री विनोद जैन अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 व 2।
3. श्री देवेन्द्र कुमार जैन अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3 से 5 ।

:: निर्णय::

प्रार्थी के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम कड़वो का बास खाता संख्या 251 के आराजी ख0 नम्बर 1021 रकबा 1.6700 है0, आराजी ख0नं0 1067 / 1300 रकबा 0.3800 है0,आराजी ख0न0 1069 रकबा 0.7900 है0, आराजी ख0न0 1070 रकबा 0.9500 है0, आराजी ख0न0 108 रकबा 0.2500 है0, आराजी ख0न0 1083 / 1303 रकबा 1.3100 है0, आराजी ख0न0 1084 रकबा 1.8500 है0, आराजी ख0न0 1087 रकबा 1.0400 है0, आराजी ख0न0 1088 / 1305 रकबा 0.4700 है0, आराजी ख0न0 109 / 1232 रकबा 0.1400 है0, आराजी

उपखण्ड अधिकारी
मौजमाबाद (जयपुर)

ख0न0 1102 रकबा 0.2300 है0, आराजी ख0न0 119 रकबा 0.2700 है0, आराजी ख0न0 1309/109 रकबा 0.0600 है0 , आराजी ख0न0 146 रकबा 0.0895 है0, आराजी ख0न0 147 रकबा 0.1500 है0, आराजी ख0न0 1474/113 रकबा 0.0500 है0, आराजी ख0न0 17 रकबा 0.4300 है0, आराजी ख0न0 19 रकबा 0.4900 है0, आराजी ख0न0 225 रकबा 0.2400 है0, आराजी ख0न0 86 रकबा 0.1400 है0, आराजी ख0न0 89 रकबा 0.0400 है0, आराजी ख0न0 91 रकबा 0.5400 है0 कुल किता 23 कुल रकबा 11.6195 है0। खाता संख्या 252 के आराजी ख0न0 1390/1098 रकबा 0.1000 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.1000 है0, खाता संख्या 253 आराजी ख0न0 1360/72 रकबा 0.0600 है0, आराजी ख0न0 1363/72 रकबा 0.3150है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.3750 है0, खाता संख्या 274 के आराजी ख0न0 1387/175 रकबा 0.2500 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.2500 है0, खाता संख्या 385 के आराजी ख0न0 114 रकबा 0.2100 है0, आराजी ख0न0 1320/72 रकबा 0.0100 है0, आराजी ख0न0 1396/78 रकबा 0.0700 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 0.2900 है0। खाता संख्या 386 के आराजी ख0न0 1011 रकबा 0.3900 है0, आराजी ख0न0 112 रकबा 0.1300 है0, आराजी ख0न0 131 रकबा 0.1700 है0, आराजी ख0न0 1310/113 रकबा 0.0024 है0, आराजी ख0न0 आराजी नं0 173 रकबा 0.3300 है0, कुल किता 05 कुल रकबा 1.0224 है0 वाके कड़वो का वास तहसील मौजमावाद में स्थिति है, जो वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज हिस्सा अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, जिसमें प्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा 1/5, अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 5 प्रत्येक का 1/5, 1/5 हिस्सा है एवं अप्रार्थी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा तथा इसी अनुसार मोके पर काविज काश्त एव खातेदार काश्तकार है तथा सरकारी लगान अपने अपने हिस्से जमा कराते आ रहे है। पक्षकारान का सिजरा खानदान निम्न प्रकार से प्रस्तुत है:—

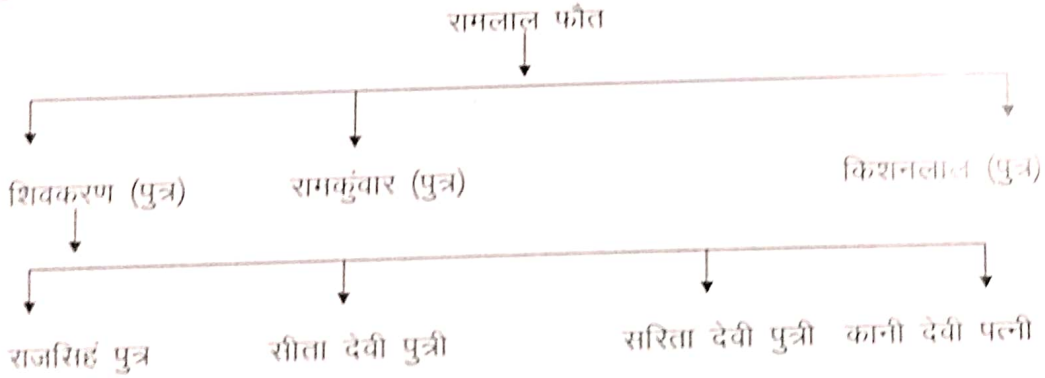

उपरोक्त सिजरे अनुसार पक्षकारान एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है तथा विवादित आराजियात पक्षकारान की पैतृक एवं मौरूसी मुश्तरका आराजीयात होने के कारण प्रार्थी का बाई वर्थ अर्थात जन्म से ही हक व हिस्सा निहित है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी एवं अप्रार्थी 3 लगायत 5 का पिता/पति है तथा अप्रार्थी संख्या 2 सासुर लगता है विवादित आराजीयात वरवक्त पर्चा सैटलमेन्ट सम्वत 2011 में प्रार्थी के दादा स्व0 रामलाल के नाम से जारी हुआ था तथा वर्तमान में जरिये विरासत अप्रार्थी संख्या 1 को प्राप्त हुई है तथा शेष अप्रार्थी संख्या 1 के अन्य भाइयो के नाम रामकुंवार एवं किशनलाल के नाम दर्ज रही है इस

मौजमाबाद (जयपुर)

प्रकार वादग्रस्त प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण 1 व 3 लगायत 5 की पैतृक एवं पुश्तैनी आराजीयात है, जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी में प्रार्थी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 5 का 1/5,1/5 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा है जिस पर मौके पर शांति पूर्ण काबिज काश्त है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण 3 लगायत 5 संयुक्त हिन्दू उत्तराधिकारी प्रावधानों के अनुसार वादग्रस्त आराजीयात में जन्म से ही हक व अधिकार निहित है तथा प्रार्थी उक्त आराजीयात में अपने अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 1 जो कि प्रार्थी के पिता है, जो आदतन गलत संगत में हो जाने के कारण एवं अप्रार्थी संख्या 2 जो प्रार्थी की पत्नी है एवं दीगर व्यक्तियों के बहकावे में आकर विवादित आराजीयात में प्रार्थी को उनके हक व हिस्से की आराजीयात से बेदखल करते हुए सम्पूर्ण आराजी का बेचान करने पर आमादा है जिसका अप्रार्थी संख्या 1 को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है तथा ऐसा करने से उस व्यक्ति को रोका जाना आवश्यक है। दिनांक [illegible]/2024 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अन्य दीगर व्यक्तियों के साथ वादग्रस्त आराजीयात पर मौके पर आये तथा प्रार्थी को वादग्रस्त आराजीयात दीगर व्यक्तियों को बेचने की धमकी दी।

अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे ।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद जैन एड0 ने वकालतनामा पत्र पेश कर जवाब पेश किया कि व अप्रार्थी संख्या संख्या 3 से 5 की ओर से श्री देवेन्द्र कुमार जैन ने वकालतनामा पत्र पेश इकबालिया जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रतिउत्तर जवाब प्रा0पत्र0 में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 01 का राजस्व रिकार्ड में अपना हिस्सा दर्ज है। प्रार्थी संख्या 1 के परिवार में प्रार्थी लडका व अप्रार्थी संख्या 5 व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 भिन्न त्तरदाता एक ही संयुक्त परिवार में निवास कर रहे है तथा अप्रार्थी संख्या 3 से 5 अप्रार्थी संख्या 1 ी पुत्रीयां/पत्नी है जिसकी अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी हैसियत से भी बढकर काफी धन खर्च कर शादियां की है जो अपने ससुराल में निवास कर रही है इस प्रकार उक्त मद में वर्णित भूमि र अप्रार्थी संख्या 1 जो काश्तकार व्यक्ति है उसमें काश्त कर अपने परिवार का लालन पालन रता चला आ रहा है उक्त भूमि में प्रार्थी का 1/5 हिस्सा पैतृक हिस्सा है, जिसमें प्रार्थी के पुत्र डका व अप्रार्थी संख्या 2 पत्नी है जिसका 1/2 हिस्सा प्रार्थी के 1/5 हिस्सा है अर्थात प्रार्थी /5 हिस्सा है। वादग्रस्त आराजीयात का पर्चा सेटलमेन्ट सम्वत 2011 में स्व0 रामलाल के नाम री हुआ था उसी मृत्यु के पश्चात विवादित भूमि रामलाल के वारिसान के नाम दर्ज हुई जिसमें ार्थी संख्या 1 के उसके हिस्से अनुसार भूमि दर्ज हुई जो वर्तमान में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी ार्थी संख्या 1 का पुत्र है जिसका भूमि में 1/5 हिस्सा पैतृक है प्रार्थी के 1/5 हिस्से में प्रार्थी का ालिग पुत्र देवांश है जिसका प्रार्थी के हिस्से में 1/2 हिस्सा है अर्थात सम्पूर्ण भूमि में प्रार्थी का 10 हिस्सा व उसके पुत्र देवांश का 1/10 हिस्सा है प्रार्थी ने जानबुझकर सिजरा में अपने लडके श को पक्षकार कायम नही किया वर्तमान में प्रार्थी के नाबालिग पुत्र देवांश की माता अप्रार्थी या 2 प्राकृतिक संरक्षक है जो अप्रार्थी संख्या 2 की संरक्षकता में निवास करता चला आ रहा है वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 के संयुक्त परिवार में निवास करता चला आ रहा है जिसमें अप्रार्थी या 1 परिवार का कर्ता होने से विवादित भूमि में काश्त कर अपने परिवारजन का लालन पालन

करता चला आ रहा है । प्रार्थी संयुक्त परिवार मे निवास करते रहने से विवादित भूमि मे अपने अलग से हिस्से की घोषणा कराने का अधिकारी नहीं है । विवादित भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 काश्त कर अपने परिवार का भरण पोषण करते है। प्रार्थी ने जानबूझकर अपने लड़के देवांश को पक्षकार नही बनाया है। प्रार्थी अपने परिवार से मनमुटाव रखता है व परिवार का कोई दायित्व भी नही निभाता है अप्रार्थी संख्या 1 विवादित भूमि जो संयुक्त परिवार की सम्पति है इसका किसी भी सूरत में विकय नही कर रहा है लेकिन अपने संयुक्त परिवार की आवश्यकता हेतु कुछ भूमि विकय करने की आवस्यकता होने पर विकय करने का अप्रार्थी संख्या 1 को अधिकार है। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के हक में जो प्रार्थी की पत्नी है कुछ भूमि का उपहार पत्र किया है जो अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने परिवार के लिए प्रार्थी द्वारा अपने पारिवारी दायित्वों का निर्वहन नही करने एवं परिवार का दायित्व नहीं निभाने के कारण किया है प्रार्थी के उक्त कृत्यों पर अप्रार्थी संख्या 2 को परिवार बनाये रखने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 ने उसके हक में उसके अधिकारों के लिए कुछ भूमि का अप्रार्थी संख्या 2 के हक में उपहार पत्र किया है जो संयुक्त परिवार को बनाये रखने हेतु संयुक्त परिवार की सम्पति में से है अप्रार्थी संख्या 2 के उपहार पत्र करया है जिसे प्रार्थी को किसी प्राकर से प्रभावहीन करवाये जाने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी सक्षम न्यायालय से उपहार पत्र निरस्त करावे तब तक प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कानूनन चलने योग्य नही होने से खारिज किये जाने योग्य ।

हमने अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस को सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रा0पत्र के समर्थन में कथन किया कि मेरी पत्नी के नाम गिफ्ट डीड बनाकर मुझे सम्पति से वंचित करना चाहते है। पुत्र वधु–जिनके नाम उपहार पत्र हुआ है व हस्तान्तरण करने पर आमादा है। पैतृक सम्पत्ति में मेरा 1/5 हिस्सा बनता है। अप्रार्थी संख्या 1व 2 के अधिवक्ता ने प्रार्थी के कथन का खण्डन करते हुये पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुये हमने यह उपहार पत्र बनवाया है। बेटा पिता के संरक्षक में जीवन यापन कर रहा है। कर्ताखानदान पारिवारिक आवश्यकता के लिए अपना हिस्सा हस्तान्तरणकर सकता है। संयुक्त परिवार में रहने पर दावा नहीं ला सकते है। अति0जिला न्यायाधीश न्यायालय में उपहार पत्र के सम्बन्धमें दावा पेश कर रखा है। रिजर्व में अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि विधिक प्रकिया के तहत आपको उपहार पत्र निष्पादित करने अधिकार नही था । वादग्रस्त आराजीयात.पैतृक भूमि है।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस को सुनकर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है जिस पर 3 बिन्दुओ पर निर्णय किया जाना है। 1 प्रथम दृष्टया मामला 2 सुविधा का संतुलन 3 अपूरणीय क्षति

उक्त बिन्दुओ के सम्बंध मे हमारा विवेचन व विनिश्चय निम्न प्रकार है –

1. **प्रथम दृष्टया मामला** :– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज वादग्रस्त आराजीयात की जमाबन्दी का अवलोकन पर जाहिर होता है कि राजस्व ग्राम कड़वो का बास खाता संख्या 251 के आराजी ख0 नम्बर 1021 रकबा 1.6700 है0, आराजी ख0नं0 1067/1300 रकबा 0.3800 है0,आराजी ख0न0 1069 रकबा 0.7900 है0, आराजी ख0न0 1070 रकबा 0.9500 है0, आराजी ख0न0 108 रकबा 0.2500 है0, आराजी ख0न0 1083/1303 रकबा 1.3100 है0, आराजी ख0न0 1084 रकबा 1.8500 है0, आराजी ख0न0 1087 रकबा 1.0400 है0, आराजी ख0न0 1088/1305 रकबा 0.4700 है0, आराजी ख0न0 109/1237 रकबा 0.1400 है0, आराजी ख0न0 1102

रकबा 0.2300 है0, आराजी ख0न0 119 रकबा 0.2700 है0, आराजी ख0न0 1309 / 109 रकबा 0.0600 है0 , आराजी ख0न0 146 रकबा 0.0895 है0, आराजी ख0न0 147 रकबा 0.1500 है0, आराजी ख0न0 1474 / 113 रकबा 0.0500 है0, आराजी ख0न0 17 रकबा 0.4300 है0, आराजी ख0न0 19 रकबा 0.4900 है0, आराजी ख0न0 225 रकबा 0.2400 है0, आराजी ख0न0 86 रकबा 0.1400 है0, आराजी ख0न0 89 रकबा 0.0400 है0, आराजी ख0न0 91 रकबा 0.5400 है0 कुल किता 23 कुल रकबा 11.6195 है0। खाता संख्या 252 के आराजी ख0न0 1390 / 1098 रकबा 0.1000 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.1000 है0, खाता संख्या 253 आराजी ख0न0 1360 / 72 रकबा 0.0600 है0, आराजी ख0न0 1363 / 72 रकबा 0.3150है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.3750 है0, खाता संख्या 274 के आराजी ख0न0 1387 / 175 रकबा 0.2500 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.2500 है0, खाता संख्या 385 के आराजी ख0न0 114 रकबा 0.2100 है0, आराजी ख0न0 1320 / 72 रकबा 0.0100 है0, आराजी ख0न0 1396 / 78 रकबा 0.0700 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 0.2900 है0। खाता संख्या 386 के आराजी ख0न0 1011 रकबा 0.3900 है0, आराजी ख0न0 112 रकबा 0.1300 है0, आराजी ख0न0 131 रकबा 0.1700 है0, आराजी ख0न0 1310 / 113 रकबा 0.0024 है0, आराजी ख0न0 आराजी नं0 173 रकबा 0.3300 है0, कुल किता 05 कुल रकबा 1.0224 है0 कृषि भूमि होकर अप्रार्थी संख्या 01 अन्य खातेदार के साथ रेकार्डेड खातेदार दर्ज है। प्रार्थी यह कथन है कि वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी की मौरूसी गुरतफा आराजीयात है अप्रार्थी संख्या 1 के दर्ज हिस्से में से प्रार्थी का बाई बर्थ हक व हिस्सा कानूनन बनता जिसे प्रार्थी घौषणा करवाने का अधिकारी है। विपक्षीगण का कथन है कि प्रार्थी वर्तमान में संयुक्त परिवार में निवास करता है एवं अप्रार्थी 1 के हिस्से में प्रार्थी के लडके देवांश का भी प्रार्थी के हक की आराजीयात में से 1 / 2 बनता है । पत्रावली पर उपलब्ध उपहार पत्र की छाया प्रति के अवलोकन से ज्ञात है कि वादग्रस्त आराजीयात का खाता संख्या 251 के आराजी ख0न0 1069 रकबा 0.79 है0, आराजी ख0न0 1070 रकबा 0.95 है0, आराजी ख0न0 1083 / 1303 रकबा 1.3100 है0, आराजी ख0न0 1084 रकबा 1.85 है0, आराजी ख0न0 1087 रकबा 1.0400 है0, आराजी ख0न 1088 / 1305 रकबा 0.47 है0, आराजी ख0न0 1102 रकबा 0.23 है0 कुल किता 07 कुल रकबा 6.64 है0 भूमि अप्रार्थी सं0 1 के द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा अप्रार्थी संख्या 02 के हक में जरिये उपहार पत्र निष्पादित करवाया है। जिसके निरस्तीकरण का वाद माननीय न्यायलय अति0 जिला न्यायाधीश , दूदू के विचाराधीन है। उक्त परिपेक्ष्य सन्दर्भ विभिन्न न्यायिक दृष्टान्त **2018-19 (Supp) RRT 531, 2020(2) RRT 1081, 2019(1) RRT 479** का अवलोकन किया गया । वादग्रस्त आराजीयात अप्रार्थी संख्या 01 के हक में होकर वर्तमान परिपेक्ष्य में रेकार्डेड खातेदार है। जहा तक उपहार पत्र का प्रश्न है तो उसे व्यर्थ (Void) घोषित करवाने का वाद माननीय न्यायाल अति0 जिला जज के विचाराधीन है। सक्षन न्यायालय के निर्णयोपरांत ही उस पर विचार–विमर्श किया जायेगा। यद्यपि उभयपक्ष के पैतृक सम्पत्ति का बिन्दू साक्ष्य ग्रहण करने के उपरान्त ही निर्णीत किया जा

[illegible] वादग्रस्त भूमियों के सम्बन्ध में [illegible] के [illegible] पर अंतिम रूप निर्धारित होगा। [illegible] के [illegible] वादग्रस्त भूमियों को खुर्द-बुर्द होने से [illegible] उत्पन्न होने और अन्य विधिक जटिलताएँ उत्पन्न होने के [illegible] अपूरणीय [illegible] प्रतीत होता है। उपरोक्त समस्त [illegible] प्रथम दृष्टया [illegible] के पक्ष में विनिश्चित किया जाता ।

2. सुविधा का संतुलन — जहां तक सुविधा के संतुलन का प्रश्न है, पत्रावली पर उपलब्ध [illegible] प्रथम दृष्टया मामले अनुसार ही सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में [illegible] जाता है। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

3. अपूरणीय क्षति — जहां तक अपूरणीय क्षति का प्रश्न है प्रार्थीगण ने वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में [illegible] प्रस्तुत कर रखा है। जिसमें प्रार्थीगण के हक अधिकारों का [illegible] किया जाना है। एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार विपक्षी संख्या [illegible] वादग्रस्त भूमि के विक्रय, अन्तरण पर आमादा है। वादग्रस्त भूमि के विक्रय / अन्तरण [illegible] अपूरणीय क्षति [illegible] कारित होने की सम्भावना है। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित [illegible]।

—आदेश—

[illegible] द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निस्तारण [illegible] के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है [illegible] की मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। पत्रावली फैसल शुमार हो [illegible] मूल वाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय खुले इजलास सुनाया गया।

(बलबीर सिंह R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
मौजमाबाद जिला जयपुर

आज दिनांक [illegible] को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

(बलबीर सिंह R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
मौजमाबाद जिला जयपुर